जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्र./जो.वि.वि.नि.लि./जोधपुर डिस्काम अनु./वाणिज्य प्र./पत्रा प्रे.सं.1440 दिनॉक 15/1/07

आदेश

विषय :– समस्त राजस्थान कि अनुसूचित जाति तथा जन–जाति उपयोजना क्षेत्र कि अनुसूचित जन–जाति के पाँच वर्ष से अधिक कटे हुये कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिंदु संख्या 21 (ब) (ii) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि समस्त राजस्थान कि अनुसूचित जाति तथा जन–जाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जन–जाति के पाँच वर्ष से अधिक कटे हुये कृषि कनेक्शन को पुनः चालू किये जाने के लिये समस्त बकाया राशि मय ब्याज जमा कराने के अतिरिक्त लाईन और ट्रँासफार्मर चार्जेज सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों में लिये जाने वाले चार्जेज लिये जायेगें चाहे कुएँ तक लाईन विधमान हो या ट्रँासफार्मर में क्षमता शेष हो ।

उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ऐसे कटे हुए कनेक्शनों को पुनः सामान्य श्रेणी मीटर प्रणाली में ही चालू किया जायेगा । ऐसे कनेक्शनों को चालु कराये जाने की कोई अवधि सीमा नहीं है, किन्तु बकाया राशि मय ब्याज जमा करानी होगी। लाईन एवं सबस्टेशन / ट्रान्सफॉर्मेशन चार्जेज निम्नानुसार देय होगें ।

(अ) लाईन के विधमान होने तथा ट्रान्सफॉर्मर में क्षमता शेष होने पर इन मदों में कोई खर्चा नहीं लिया जावेगा ।

(ब) लाईन के विधमान नहीं होने तथा ट्रान्सफॉर्मर में क्षमता शेष नहीं होने की स्थिति में तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जाकर सामान्य श्रेणी के नये कनेक्शनों में लिये जाने वाले चार्जेज लिये जायेगें ।

(स) लाईन के आंशिक विधमान होने की स्थिति में उसे पुनः स्थापित किये जाने के लिये वास्तविक खर्चा अथवा सामान्य श्रेणी के नये कनेक्शनों में लिये जाने वाले चार्जेज, जो भी कम हो, लिये जायेगें

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।

अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।:–

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सधां – जोधपुर जोन / बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्काम,जोधपुर / बीकानेर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी / वित्तिय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि एवं सधां / पी.पी. एण्ड एम / पदार्थ प्रबन्ध / एम एण्ड पी / बी एफ एल) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर / पाली / बीकानेर / बाड़मेर / जैसलमेर / चुरु / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी / सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त आदेश कि प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावे ।
6. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां. / एम. एम. / अकेंक्षण) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर / बीकानेर ।
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (पी.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि / एम. आई. एस.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
12. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम / अजमेर डिस्कॉम / जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर / अजमेर / जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक क अवलोकनार्थ ।
13. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।

(एन.एम. सिंघवी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर